

537

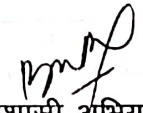
कार्य का नाम:- उत्तराखण्ड राज्य द्वारा प्रस्तावित जनपद उत्तरकाशी में राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 123 (507) थाथरी खड्ड से मुराड़ी गांव के पूर्व निर्मित मोटर मार्ग के किमी० 75.00 से 101.00 तक के भाग का दो लेन चौड़ीकरण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

(लम्बाई-26.00 किमी०)

एन०पी०वी० की धनराशि में वृद्धि होने की दशा में बढ़ी हुई धनराशि जमा करने का प्रमाण-पत्र

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यदि एन०पी०वी० की वर्तमान दरों में वृद्धि की जायेगी तो याचक विभाग बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान वन विभाग को करने हेतु वचनबद्ध है।


सहायक अभियन्ता
रा०मा०खण्ड, लो०नि०वि०
बड़कोट (उत्तरकाशी)


अधिसूची अभियन्ता
रा०मा०खण्ड, लो०नि०वि०
बड़कोट (उत्तरकाशी)

कार्य का नाम:-

उत्तराखण्ड राज्य द्वारा प्रस्तावित जनपद उत्तरकाशी में राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 123 (507) थाथरी खड्ड से मुराड़ी गांव के पूर्व निर्मित मोटर मार्ग के किमी० 75.00 से 101.00 तक के भाग का दो लेन चौड़ीकरण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

(लम्बाई-26.00 किमी०)

एन०पी०वी० की धनराशि का आंकलन

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के आदेश संख्या 5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05-02-2009 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार आवेदित वन भूमि हेतु एन०पी०वी० की देयता निम्नानुसार है:-

- 1- ईको-क्लास श्रेणी १
- 2- हरियाली का घनत्व ०.५
- 3- एन०पी०वी० की दर प्रति है० १,५५,०००/-
- 4- आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल ०.१०० भा. (किमी) + ३०.१६० डिमि. + १५.१५० गज
- 5- कुल देय एन०पी०वी० की धनराशि २,६१,२१,७००/-

वन प्राणीय व अधिकारी
अपर यमुना वन प्रभाग
बडकोट

प्रभागीय वनाधिकारी
अपर यमुना वन प्रभाग
बडकोट


अपर यमुना वन प्रभाग
बडकोट


प्रभागीय वनाधिकारी
अपर यमुना वन प्रभाग
बडकोट